

# यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फुर्व अहकाम

मु० नं 68/17 तारीख रजु 18.9.17


उनमान - अन्तराम बनाम रामगोपाल वैठेभीम  
महस्वा

प्रापना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्राथी की ओर से श्रीमं हनुकुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रापना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 के तहत पेश किया। जमा बन्दी व शाप पत्र का अवलोकन किया गया। प्रापना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रापिण को नोटिस से तसव किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.9.17 को पेश है।

5114-17

19.9.17

  
जगदीश आर्य  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम

9.17 प्राथी वकील उप०। अप्रापिण बख्शुद सूचना उपस्थित नहीं। वास्ते बखस दि० 30.10.17 को पेश है।

10.17 प्राथी वकील उप०। बखस वास्ते समय चाहा। दिवागमा। दिनांक 30.11.17 को पेश है।

11.12 प्राथी वकील उप०। अप्रापि नं. 1,2,3 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा एडव० ने वकालतनामा व द० 09 R.7 CPC पेश की। द० की नकल दिलाई। वास्ते जबब द० दिनांक 28.12.17 को पेश है।

214

# न्यायालय उप जिला कलक्टर दोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
28/12/17 28/12/17 11/12/17	वकूलाय उप. ) वादी वकीलने अपार्थी नं. 1, 2, 3 की डोरसे प्रस्तुत द. 09 R. 0) को स्वीकार करके की सहमति दर्ज कराई इसलिए अपार्थी नं. 1, 2, 3 के विकल्प की गई एक पक्षीय कार्यवाही आपास की जाती है पेश करने जबकि दि 8-1-18 को पेश हो
8-1-18	वकूलाय उप. ) जब पेश किया / जफ्त दिलाई / वासि बहस दि 15-2-18 को पेश हो
15-2-18	वकूलाय उप. ) गत मुसा दि 21-3-18 को पेश हो
21-3-18	पत्रावली पेश हुई / प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं हैं अपार्थी वकील उप. ) कर्तब आवाज दिलाई फिर भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह प्रार्थी पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है पत्रावली के सार अनुसार टिक नम्बर से कम होकर दवा पत्रावली के साथ संलग्न रहे